

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 51 / 2026 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002
सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रथम मंजिल, वेटफील्ड हाउस, स्प्रॉट रोड़, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई 400038 जरिये प्राधिकृत अधिकारी मोहम्मद शाहरूख
—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. मनोहर सिंह पुत्र कजोड़ मल ग्राम पनलावा तह. लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.
2. निर्मला देवी पत्नी मनोहर सिंह निवासी वार्ड 04 पनलावा बीदासर सीकर राज.

—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 27 अप्रैल, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री राहुल पारीक** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **मनोहर सिंह पुत्र कजोड़ मल एवं निर्मला देवी पत्नी मनोहर सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति खसरा संख्या 423 रकबा 0.37 हैक्टेयर ग्राम बलारां, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राज. 332316 में अवस्थित दुकान नं. जी-4** है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 288 वर्गफीट** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में मखनलाल माहिच का मकान, पश्चिम दिशा में रास्ता 20 फीट चौड़ा, उत्तर दिशा में दुकान नं. जी-5 एवं दक्षिण दिशा में जी-3 है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹3,30,000 /— रुपये (अक्षरे रुपये तीन लाख तीस हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **01.03.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।


(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **01.03.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **मनोहर सिंह पुत्र कजोड़ मल एवं निर्मला देवी पत्नी मनोहर सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति खसरा संख्या 423 रकबा 0.37 हैक्टेयर ग्राम बलारां, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राज. 332316 में अवस्थित दुकान नं. जी-4** है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 288 वर्गफीट** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में मखनलाल माहिच का मकान, पश्चिम दिशा में रास्ता 20 फीट चौड़ा, उत्तर दिशा में दुकान नं. जी-5 एवं दक्षिण दिशा में जी-3 है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक **27 अप्रैल, 2026**को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (आशीष मोदी)
 (आशीष मोदी)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर